न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 18/2021

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

मनोज राजोरिया बनाम सरकार व अन्य अन्तर्गत धारा 131,136 भू. राज.अधि. 1956

मनोज राजोरिया पुत्र रामगोपाल राजोरिया, जाति खटीक आयु 50 साल जरिये अभिकर्ता देवेन्द्र सांवरिया जाति खटीक निवासी जयपुर जिला जयपुर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. तीजा पत्नी रिद्वकरण, जाति जाट
3. नाथू पुत्र रिद्वकरण
4. सूरज्ञान पुत्री रिद्वकरण
5. कमला पुत्र भोलू
6. धापू पत्नी रामदयाल
7. नन्दू देवी पत्नी भोलू
8. मोतीलाल पुत्र भोलू
9. रिद्वकरण पुत्र भोलू
10. सूरकरण पुत्र भोलू
    सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
11. ग्राम पंचायत भोगादीत, जरिये सरपंच।
12. नन्दू पुत्री रामचन्द्र
13. पारसी पुत्री रामचन्द्र
14. अवयस्क ममता पुत्री रामचन्द्र जरिये सरंक्षक माता रोडी पत्नी रामचन्द्र
15. रामप्यारी पत्नी पांचू
16. रोडी पत्नी रामचन्द्र
17. अव्यस्क हरिराम पुत्र रामचन्द्र जरिये सरंक्षक माता रोडी पत्नी रामचन्द्र
18. अव्यस्क हंसराज पुत्र रामचन्द्र जरिये सरंक्षक माता रोडी पत्नी रामचन्द्र
    सर्व जाति बलाई निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि.1956

Signature Not Verified

दिनांक 05/7/25

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:04:10 IST
Reason: Self Attested

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ... से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी ने पेश कर ... किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की ... ग्राम गागुन्दा में स्थित भूमि खसरा संख्या 791/49 रकबा ...90 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 804/49 रकबा 1.0840 हैक्टेयर स्थित है, उक्त भूमि एकीकरण के समय खसरा संख्या 49

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

कबा 297 बीघा 19 बीस्वा में से विखण्डित होकर बनी है जिसके एकीकरण के खसरा ा 49/31 रकबा 16 बीघा 14 बीस्वा कायम किये गये थे। उक्त भूमि के पुराने खसरा ख्या 49/31 थे तथा एकीकरण पश्चात एवं भू संशोधन पश्चात तथा सम्वत 2027 का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये है। प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा अनुसंलग्न 01 के रूप में लगा हुआ है उसमें वादअधीन भूमि की तरमीम सही रूप से करी गई है किन्तु तत्पश्चात भू–संशोधन अधिकारियों ने उपरोक्त प्रार्थी के अधिकार एवं मिलकीयत की भूमि खसरा संख्या 49/31 के नक्शे में गम्भीर त्रुटि कारित करते हुये नवीन खसरा संख्या 792/29 रकबा 0.5670 हैक्टेयर कायम किया है जो कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के नाम दर्ज है। उत्तर दिशा में चारागाह भूमि है। वर्तमान में चारागाह का रकबा नक्शे में अधिक हो गया है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के अधिकार, खातेदारी के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा संख्या 804/49 रकबा 1.0840 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 791/49 रकबा 1.6190 हैक्टैयर का जमाबन्दी में अंकित रकबे के अनुसार राजस्व ट्रेस में तरमीम, सीमांकन शुद्धिकरण करने के आदेश प्रदान करवावें।

2. दिनांक 12.03.2021 को प्रकरण को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 18/2021 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 03, 08, 16, 17, 18 की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02, 04, 05 , 06, 07 एवं 09 से 15 की ओर से अन्डरटेकिंग ली गई। दिनांक 10.03.2024 को तहसीलदार अरांई का जवाब पेश हुआ जिसमें तहसीलदार अरांई ने जाहिर किया कि एकीकरण नक्शे में खसरा संख्या 49/31 का रकबा 12 बीघा होता है जो कि एकीकरण जमाबन्दी में दर्ज रकबे 16 बीघा 14 बीस्वा से कम है। संवत 2027 के राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 49/31 का रकबा 08 बीघा 15 बीस्वा बैठता है जबकि जमाबन्दी में 16 बीघा 14 बीस्वा दर्ज है। वर्तमान सेग्रीकेशन नक्शे में खसरा संख्या 49/31 से दो नये खसरे बने है खसरा संख्या 791/49 एवं खसरा संख्या 804/49 जिनकी संयुक्त रकबा 08 बीघा 15 बीस्वा बैठता है, वर्तमान सेग्रीकेशन जमाबन्दी में उक्त रकबा 16 बीघा 14 बीस्वा दर्ज है। चारागाह के खसरा संख्या 47 एकीकरण संवत 2019 से ही दर्ज है [illegible] वादअधीन खसरा संख्या 47 व 49 की पुख्ता तरमीम एकीकरण नक्शे में ही अलग अ[illegible] द[illegible] है।

3. दिनांक 29.09.2023 को अप्रार्थीगण[illegible] जवाब बन्द[illegible] दिया गया। दिनांक 07.06.2024 को वकील प्रार्थी की प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी[illegible]ई।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)